न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 108/2021

1. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र स्व. नानगराम
2. गंगाराम पुत्र स्व. नानगराम
3. गुलाबचन्द पुत्र स्व. नानगराम
4. श्रवण पुत्र स्व. नानगराम
5. रामकिशन पुत्र स्व. नानगराम
6. बाबूलाल पुत्र स्व. नानगराम
7. सोना पुत्री स्व. नानगराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

..रेस्पो0

अपील विरूद्ध नामान्तरण सं0 1647 दिनांक 10.11.2010 विरूद्ध आदेश तहसीलदार दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

उपस्थित–1. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय   दिनांक: 21.10.2022

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 10.11.2010 को ग्राम आलूदा का नामान्तरण सं0 1647 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 455 से 465, 560 से 563 कुल किता 15 रकबा 3.43है. वाके ग्राम आलूदा में स्थित है, जिसकी खातेदारी पूर्व में अपीलांटस के पिता नानगराम पुत्र भैरू कौम माली के नाम दर्ज रिकार्ड थी। अपीलांटस के पिता की मृत्यु के उपरांत विरासत का नामान्तरण खोला गया उसमें अपीलांट संख्या 1 का नाम [illegible] अंकित करते हुए खोल दिया गया, जबकि अपीलांट संख्या 01 का सही एवं वास्तविक नाम कानाराम है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 1647 निरस्त योग्य है। अपीलांट संख्या 1 का सही एवं वास्तविक नाम उसके दस्तावेज में कानाराम अंकित है। अपीलांट संख्या 1 का जो आधार कार्ड बना हुआ है, वह भी अपीलांट संख्या 1 के सही एवं वास्तविक नाम कानाराम के नाम से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो फोटो पहचान पत्र एवं राशन कार्ड भी अपीलांट को जारी

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested

...निरंतर 2 पर

किये गये है, वह भी कानाराम के नाम से जारी किया गये है। इसके अलावा अपीलांट संख्या 1 के अन्य दस्तावेजी रिकार्ड में भी अपीलांट का नाम कानाराम ही अंकित है। किन्तु अधीनसथ तहसीलदार दौसा द्वारा इस तथ्य को अनदेखा कर अपीलांट का सही एवं वास्तविक नाम का गलत अंकन कर बिना कोई जांच किये ही नामान्तरण खोला गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1647 विरासत वाके ग्राम आलूदा तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 11.10.2010 को निरस्त फरमाया जावे एवं उसके स्थान पर अपीलांट संख्या 1 का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम कानाराम के नाम नामान्तरण खोलने के आदेश तहसीलदार को फरमाये जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया गये नामान्तरण में सहवन से नाम कानाराम के स्थान पर कन्हैया दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही नामांतरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी, फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांट के नाम के हद तक ही है, तो तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 10.11.2010 को ग्राम आलूदा का नामान्तरकरण सं0 1647 विरासत के आधार पर तस्दीक कर दिया गया। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में नानगा के फौत होने पर नानगा की विरासत गंगाराम, गुलाबचन्द, श्रवण, रामकिशन, कन्हैयालाल, बाबूलाल पि0 नानगराम, सोना पुत्री नागनराम जाति माली के नाम नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच गिरदावर के अंकित कर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 10.11.2010 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांटस ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांट कानाराम का नाम कन्हैयालाल के स्थान पर कानाराम दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। अपीलांट के हक में नामांतरण संख्या 1647 दिनांक 10.11.2010 को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट का नाम कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल गलत दर्ज कर दिया गया है। अपीलांट का सही व वास्तविक नाम कानाराम है ना कि कन्हैयालाल। अपीलांट संख्या 1 लगायत 7 मृतक नानगा के कानूनी वारिसान है। अपीलांट कानाराम द्वारा अपील के संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति आदि का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट का नाम कानाराम पुत्र नागनराम सैनी अंकित है। हम प्रकरण में न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested

...निरंतर 3 पर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1647 वाके ग्राम आलूदा पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से हाल तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रतिप्रषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 21 अक्टूबर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested